न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 334 सन 2021

अनवान :–

1. पवन कम्बोज पुत्र बुटासिह जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रेजल पुत्र बुटाराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
3. करन कुमार पुत्र रूपचन्द जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
4. अभिषेक पुत्र रूपचन्द जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. रामचन्द उर्फ रामचन्द्र उर्फ बलराम पुत्र वरयाम उर्फ वरयामचन्द उर्फ रायसिह जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
2. बुटासिह उर्फ बुटाराम पुत्र रामचन्द जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रूपचन्द उर्फ रूपाराम पुत्र रामचन्द उर्फ रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. प्रवीण कौर पुत्री बुटाराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
5. पूजा रानी पुत्री रूपचन्द जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
6. सोभना पुत्री रूपचन्द जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
7. कैलाश रानी पुत्री रामचन्द जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
8. सोमा रानी पुत्री रामचन्द जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
9. सरोज रानी पुत्री रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
10. सुनीता रानी पुत्री विधा पुत्री रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. प्रकाश रानी पुत्री विधा पुत्री रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. सन्तोष रानी पुत्री विधा पुत्री रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. अशोक कुमार पुत्र विधा पुत्री रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. सन्दीप कुमार पुत्र विधा पुत्री रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 01/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 245/237 की कुल 8.8280हैक में से 1639/4414 हिस्सा व खाता संख्या 337/321 की कुल 33.9180हैक मे से 5176/28265 हिस्सा , 253/22612हिस्सा 6325/67836 हिस्सा व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 181/176 की कुल 1.7960हैक व खाता संख्या 259/251 की कुल 4.7420हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के पूर्वज पडदादा वरयाम पुत्र जीवनराम के नाम से गांव सिरसा में नाली बैण्ड की दो मुरब्बा भूमि है वादी के पूर्वज वरयाम पुत्र जीवनराम ने अपने जीवन काल में नाली बेण्ड की भूमि कृषि आय एवं सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि अपने पुत्र एवं वादी के दादा रामचन्द के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में वादी के दादा रामचन्द पुत्र बरयाम के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वजों ने सयुक्त परिवार की आय एवं सयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति से वादी के दादा रामचन्द्र के नाम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

से करवाई गई भूमि पैतृक सम्पति एवं सयुक्त परिवार की सयुक्त सम्पति है जिसमें वादी के दादा के साथ उसके सम्पूर्ण परिवार सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 का बराबर का है हिस्सा है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 , 3 जो वादी का दादा पिता हे ने अपने हक हिस्सा के अनुसार नाली बैण्ड की भूमि रख कर वाद भूमि में अपने हकों का त्याग किया जा चुका है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 वादीगण की बुआ एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की बहने है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादीगण की बहने व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की पुत्रीया है एव्र प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 वादीगण की बुआ/प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की बहने के वारिसा है प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वादी भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के दादा के नाम से दर्ज है जो वादीगण के पूर्वज पडदादा ने नाली बेण्ड की भूमि एवं सयुक्त परिवार की भूमि की आय से वाद भूमि वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 15 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 245/237 की कुल 8.8280हैक में से 1639/4414 हिस्सा व खाता संख्या 337/321 की कुल 33.9180हैक मे से 5176/28265 हिस्सा , 253/22612हिस्सा 6325/67836 हिस्सा व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 181/176 की कुल 1.7960हैक व खाता संख्या 259/251 की कुल 4.7420हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वादी के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के पूर्वज पडदादा वरयाम पुत्र जीवनराम के नाम से गांव सिरसा में नाली बैण्ड की दो मुरब्बा भूमि है वादी के पूर्वज वरयाम पुत्र जीवनराम ने अपने जीवन काल में नाली बेण्ड की भूमि कृषि आय एवं सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि अपने पुत्र एवं वादी के दादा रामचन्द के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में वादी के दादा रामचन्द पुत्र बरयाम के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वजों ने सयुक्त परिवार की आय एवं सयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति से वादी के दादा रामचन्द्र के नाम से करवाई गई भूमि पैतृक सम्पति एवं सयुक्त परिवार की सयुक्त सम्पति है जिसमें वादी के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दादा के साथ उसके सम्पूर्ण परिवार सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 का बराबर का है हिस्सा है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 , 3 जो वादी का दादा पिता हे ने अपने हक हिस्सा के अनुसार नाली बैण्ड की भूमि रख कर वाद भूमि में अपने हकों का त्याग किया जा चुका है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या ता 14 ने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वादी भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम गलत तौर से दर्ज है जिसे संशाधन फरमावे रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 259/251 की कुल 4.7420हैक में से 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम रूपाराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज है के स्थान पर रूपराम पुत्र रामचन्द किया जाकर बुटाराम पुत्र रामचन्द के साथ बहिब दर्ज की जाती है एवं रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 171/162 की कुल 6.2980हैक में से 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम बुटाराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर बुटाराम पुपत्र रामचन्द

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अत: वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 245/237 की कुल 8.8280हैक में से 1639/4414 हिस्सा व खाता संख्या 337/321 की कुल 33.9180हैक मे से 5176/28265 हिस्सा , 253/22612हिस्सा 6325/67836 हिस्सा व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 181/176 की कुल 1. 7960हैक व खाता संख्या 259/251 की कुल 4.7420हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादीगण के पूर्वज पडदादा बरयामराम पुत्र जीवनराम के नाम से नाली बेण्ड में दो मुरब्बा पैतृक भूमि थी वादीगण के पडदादा बरयामराम ने अपने जीवनकाल में पैतृक भूमि की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 का बराबर का हक हिस्सा है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि नालीबेण्ड में रखी जाकर वाद भूमि में अपने हकों का त्याग कर दिया है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 4 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्हाने अपने हक हिस्सा का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी में होगी पैतृक सम्पति होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 245/237 की कुल 8.8280हैक में से 1639/4414 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 3 ,4 खातेदार काश्तकार होगे व खाता संख्या 337/321 की कुल 33.9180हैक मे से 5176/28265 हिस्सा , 253/22612हिस्सा 6325/67836 हिस्सा यानी 9.7532हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 ,2 बहिब 6.3326 हैक व वादी संख्या 3 , 4 बहिब 3.4206हैक भूमि के खातेदार काश्तकार होगे व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 181/176 की कुल 1.7960हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 ता 4 बहिब खातेदार काश्तकार होगे एवं रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 259/251 की कुल 4.7420हैक में से 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम रूपाराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज है के स्थान पर रूपराम पुत्र रामचन्द किया जाकर बुटाराम पुत्र रामचन्द के साथ बहिब दर्ज की जाती है एवं रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 171/162 की कुल 6.2980हैक में से 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम बुटाराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर बुटाराम पुत्र रामचन्द संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. पवन कम्बोज पुत्र बुटासिह जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
2 रेजल पुत्र बुटाराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
3 करन कुमार पुत्र रूपचन्द जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
4 अभिषेक पुत्र रूपचन्द जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. रामचन्द उर्फ रामचन्द्र उर्फ बलराम पुत्र वरयाम उर्फ वरयामचन्द उर्फ रायसिह जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
2 बुटासिह उर्फ बुटाराम पुत्र रामचन्द जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3 रूपचन्द उर्फ रूपाराम पुत्र रामचन्द उर्फ रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4 प्रवीण कौर पुत्री बुटाराम जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
5 पूजा रानी पुत्री रूपचन्द जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
6 सोभना पुत्री रूपचन्द जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
7 कैलाश रानी पुत्री रामचन्द जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
8 सोमा रानी पुत्री रामचन्द जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
9 सरोज रानी पुत्री रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
10 सुनीता रानी पुत्री विधा पुत्री रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11 प्रकाश रानी पुत्री विधा पुत्री रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12 सन्तोष रानी पुत्री विधा पुत्री रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13 अशोक कुमार पुत्र विधा पुत्री रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14 सन्दीप कुमार पुत्र विधा पुत्री रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 923 सन 2021 निर्णय दिनांक– 01/09/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 245/237 की कुल 8.8280हैक में से 1639/4414 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 3 ,4 खातेदार काश्तकार होगे व खाता संख्या 337/321 की कुल 33.9180हैक मे से 5176/28265 हिस्सा , 253/22612हिस्सा 6325/67836 हिस्सा यानी 9.7532हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 ,2 बहिब 6.3326 हैक व वादी संख्या 3 , 4 बहिब 3.4206हैक भूमि के खातेदार काश्तकार होगे व रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 181/176 की कुल 1.7960हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 ता 4 बहिब खातेदार काश्तकार होगे एवं रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 259/251 की कुल 4.7420हैक में से 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम रूपाराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज है के स्थान पर रूपराम पुत्र रामचन्द किया जाकर बुटाराम पुत्र रामचन्द के साथ बहिब दर्ज की जाती है एवं रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 171/162 की कुल 6.2980हैक में से 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम बुटाराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर बुटाराम पुत्र रामचन्द संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर